



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक 181/01/EE-3/23

दिनांक 05/08/2023

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा छीपीटोला स्थित पुरानी सब्जीमण्डी योजना के अन्तर्गत निर्मित निष्प्रयोज्य/जर्जर सम्पत्तियों में सम्पत्ति संख्या-45 (ध्वस्तीकरण कर समतलीकरण का कार्य) की नीलामी जैसे हैं, जहाँ हैं के आधार पर दिनांक 9/8/23 को प्रातः 11:00 बजे प्राधिकरण के सभागार में की जायेगी। नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु इच्छुक व्यक्ति अथवा फर्म के प्रतिनिधि दिनांक 9/8/23 तक जमानत राशि के रूप में रू0 5,000.00 का ड्राफ्ट, जो सचिव आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के नाम देय होगा, जमा कराकर नीलामी की शर्तों के अनुसार प्रतिभाग कर सकता है। निष्प्रयोज्य/जर्जर सम्पत्तियों का निरीक्षण छीपीटोला स्थित पुरानी सब्जीमण्डी में किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है। नीलामी की शर्तें किसी भी कार्यदिवस में अभियन्त्रण खण्ड-3 एवं प्राधिकरण की वेबसाइट www.adaagra.in पर देखी जा सकती है। अन्य किसी भी सूचना/जानकारी हेतु अवर अभियन्ता श्री रघुवीर सिंह से मोबाइल नम्बर-7055044440 एवं अवर अभियन्ता श्री इमरान हबीब अंसारी से मोबाइल नम्बर-9451565972 पर सम्पर्क किया जा सकता है।


सचिव

आगरा विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि:-

1. वित्त नियंत्रक (सदस्य नीलामी समिति), संयुक्त सचिव/प्रभारी सम्पत्ति (सदस्य नीलामी समिति) एवं मुख्य अभियन्ता (सदस्य नीलामी समिति) को नियत तिथि व समय एवं नीलामी स्थल पर उपस्थित रहने हेतु सूचनार्थ।
2. प्रभारी जनसम्पर्क अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना किन्हीं दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर निष्प्रयोज्य दुकानों की नीलामी से सम्बन्धित शर्तों को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्रों की प्रति अभियन्त्रण खण्ड-3 में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. वैयक्तिक सहायक सचिव महोदया को इस निर्देश के साथ निर्धारित तिथि को अधोहस्ताक्षरी को संज्ञान में लाने का कष्ट करें।



सचिव

आगरा विकास प्राधिकरण

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

निष्प्रयोज्य दुकानों की नीलामी हेतु शर्तें

1. नीलामी की दिनांक को बोलीदाता की आयु 18 वर्ष या उससे कम नहीं होनी चाहिए तथा वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. बोली बोलने से पूर्व बोलीदाता को चाहिए कि वह नीलाम होने वाले सामान की भली-भाँति जानकारी कर ले व उसे देख लें। पूर्ण संतुष्टि होने के बाद ही नीलामी में प्रतिभाग करें। किसी भी प्रकार की सशर्त बोली मान्य नहीं होगी।
3. बोलीदाता को जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी वैध चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके उपरान्त ही वह नीलामी में प्रतिभाग कर सकेगा।
4. बोलीदाता को पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नम्बर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके उपरान्त ही वह नीलामी में प्रतिभाग कर सकेगा।
5. बिक्रीकर/व्यापार कर/इनकम टैक्स अथवा अन्य स्थानीय कर जो भी देय होंगे वे उच्चतम बोलीदाता को स्वयं देय होंगे।
6. बोलीदाता के निमित्त अन्य व्यक्ति द्वारा बोली में भाग लेने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को बोलीदाता द्वारा प्रदत्त अधिकार-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. बोली बोलने से पूर्व नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता को ~~रु0 2000~~^{रु0 5000} हजार, जमानत धनराशि/अग्रिम धनराशि/अग्रिम निधि, बैंक ड्रफ्ट के रूप में सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण के पक्ष में नीलामी की तिथि से दो दिवस पूर्व जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता के संदर्भ में यह राशि उच्चतम बोली की धनराशि से समायोजित कर ली जायेगी। जर्जर/निष्प्रयोज्य नीलामी हेतु लगायी गयी सम्पत्तियों का मूल्य (स्क्रेप मूल्य) रु0 1,77,000.00 निर्धारित किया गया है।
8. उच्चतम बोलीदाता की जमानत धनराशि को छोड़कर शेष बोलीदाताओं की जमानत/अग्रिम धनराशि नीलामी समाप्ति के पश्चात् वापस कर दी जायेगी, किन्तु जब तक प्रथम उच्चतम बोली की 50 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करा देते हैं तब तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की जमानत वापस नहीं की जायेगी।
9. उच्चतम बोली, बोले जाने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता तत्काल 50 प्रतिशत धनराशि जमा करानी होगी, जिसमें से जमानत/अग्रिम/अग्रिम निधि के रूप में जमा धनराशि समायोजित होगी। शेष 50 प्रतिशत धनराशि उच्चतम बोलीदाता के द्वारा नीलामी स्वीकृति के तीन दिवस में जमा करानी होगी।
10. जो भी निष्प्रयोज्य सामग्री नीलाम की जा रही है, वह जैसा है जहाँ के आधार पर की जा रही है जो बोलीदाता को मान्य होगी, जिसके लिए बोलीदाता द्वारा किसी भी वाद-विवाद की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जायेगा।
11. उच्चतम बोली के स्वीकृत होने एवं 100 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा होने व जी0एस0टी0 जमा करने के उपरान्त ही नीलाम हुई सामग्री उठवायी जायेगी।
12. नीलाम हुई सामग्री के लोडिंग-अनलोडिंग का प्रबन्ध एवं उस पर होने वाला व्यय भी उच्चतम बोलीदाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
13. नीलामी तिथि से जब तक उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक बोलियाँ स्थिर व बाध्यकारी रहेंगी। किसी कारण से उक्त अवधि में पहली बोली वापस लेने की दशा में बोलीदाता द्वारा जमा की गई जमानत की अग्रिम धनराशि प्राधिकरण कोष में जम्ब कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
14. प्रथम उच्चतम बोलीदाता द्वारा यदि निश्चित समयावधि में शेष 50 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा नहीं करायी जाती है तो ऐसे स्थिति में द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को यह धनराशि जमा करानी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा करायी गयी जमानत धनराशि जम्ब कर ली जायेगी।



15. उच्चतम बोलीदाता की सम्पूर्ण नीलामी धनराशि जमा होने व उसके पक्ष में स्वीकृति पत्र उपरान्त सम्पूर्ण सामग्री एक सप्ताह के अन्दर हटाना होगा।
16. बोलीदाता का यह दायित्व होगा कि नीलामी की स्वीकृति के उपरान्त कार्यालय द्वारा जारी पत्र यदि वह स्वयं कार्यालय आकर प्राप्त नहीं करता है तो ऐसी दशा में उक्त पत्र एवं उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा का निर्णय बोलीदाता पर लागू माना जायेगा और तदनुसार पत्र में दी गयी अवधि में यदि धनराशि जमा नहीं करायी जाती है तो पूर्व में जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
17. नीलामी के समय "नीलामी समिति" को किसी भी बोली को स्थगित करने, नीलाम के समय उत्पन्न ऐसी स्थितियों जिनका उल्लेख उक्त शर्तों में नहीं है, के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार होगा व बोलीदाता उन्हें मानने को बाध्य रहेगा।
18. बोलीदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि नीलाम होने वाले सामान का अवश्य ही स्थल पर निरीक्षण कर लें, एक बार बोली प्राप्त होने के पश्चात् बोलीदाता की यह आपत्ति कि उन्होंने सामान नहीं देखा था, पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
19. किसी भी बोली को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने का अधिकार उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण को होगा और इस सम्बन्ध में किसी भी बोलीदाता की किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
20. नीलामी स्थल पर मोबाइल फोन लाना वर्जित है।
21. नीलामी के समय कोई भी बोलीदाता अथवा उनके साथ आने वाला व्यक्ति, किस भी प्रकार का धारदार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर नहीं आयेगा यदि ऐसा पाया जाता है तो बोलीदाता की जमानत धनराशि जब्त करते हुए शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने हेतु जिलाधिकारी महोदय से सिफारिश की जायेगी।
22. नीलामी शर्तों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में वह उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के द्वारा तय किया जायेगा व इण्डियन आर्बीट्रे शन एक्ट 1996 के अन्तर्गत निर्णीत होगा।
23. किसी भी विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्र आगरा स्थित न्यायालय होगा।

घोषणा

नीलामी समिति के समक्ष, मैं निम्न बयान/घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तें भली-भाँति पढ़कर समझ ली गयी हैं तथा पूर्ण जानकारी भी कर ली गयी है। मैं जिस सामग्री की बोली, बोल रहा हूँ/रही हूँ, उसका स्वयं मौके पर निरीक्षण मेरे द्वारा कर लिया गया है। मैं पूर्ण सन्तुष्टि के पश्चात् प्राधिकरण की शर्तों एवं नियमों की जानकारी होने के साथ बोली, बोल रहा हूँ/रही हूँ। मैं समस्त शर्तों एवं प्राधिकरण के नियमों का पालन करने का भी वचन देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर बोलीदाता
 नाम (साफ अक्षरों में)
 पता
 फोन/मोबाइल नं०

कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

